ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार गारंटी

7087. श्री अनन्तराव देवशंकर दवे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों के लिए रोजगार-गारंटी की व्यवस्था करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ 30 जून, 1993 तक पंजीकृत किए गए ग्रामीण निर्धनों की संख्या कितनी है; और

(घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरूभूमि वाले क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों के 261 जिलों के 1778 चयनित खण्डों, जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है, में सुनिश्चित रोजगार योजना नामक एक नई योजना शुरू की है ।

योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों, जो रोजगार के जरूरतमद हैं तथा जो रोजगार की तलाश में हैं, को गैर-कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का शारीरिक श्रम वाला अकुशल रोजगार मुहैया कराना है । हालांकि यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए है, फिर भी इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाले लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं । योजना के अंतर्गत एक परिवार के अधिकतम दो वयस्क सदस्यों को रोजगार मुहैया कराया जाना है । सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत खर्च को केन्द्र और राज्यों द्वारा 80:20 के आधार पर वहन किया जाता है ।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत केवल श्रमप्रधान कार्य ही शुरू किए जाने हैं । जब कभी 20 व्यक्ति रोजगार चाहते हों तो जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं । कुछ विशेष मामलों में यदि सिर्फ 10 लोग भी रोजगार की मांग करते हैं तो खण्ड विकास अधिकारी नए निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं ।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 को ही शुरू की गई थी । इस प्रयोजन हेतु ग्रामीण गरीबों का पंजीकरण इसके बाद आरम्भ हुआ है ।

(घ) चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के शारीरिक रूप से सक्षम उन सभी वयस्कों, जो रोजगार के जरूरतमंद हैं और जो रोजगार की तलाश में हैं को गैर-कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का लाभप्रद सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है, एक वर्ष के लिए अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रोजगार के प्रावधान हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

LIC assistance for water supply scheme in Gujarat

7088. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for water supply for Gujarat with the Assistance of LIC or any scheme of other financial institutions;

(b) if so, the details thereof and by when the scheme is likely to be introduced, district-wise;

(c) the expenditure likely to be incurred on these schemes; and